न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र/मु.सं. 97/2024

भरत सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रार्थी/वादी

बनाम

01. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह
02. चन्द्र शेखर पुत्र जगदीश सिंह
03. कौशल किशोर पुत्र जगदीश सिंह
04. श्रीमती पुष्पा कंवर बेवा जगदीश सिंह
05. उत्तम सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह (मृत)
    (5/1) प्रकाश सिंह पुत्र उत्तम सिंह
    (5/2) पृथ्वीपाल सिंह पुत्र उत्तम सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
    (5/3) रूपरेखा पुत्री उत्तम सिंह पत्नी स्व. कृष्णपाल सिंह जाति राजपूत निवासी कैलाश बावड़ी तहसील व जिला जोधपुर
    (5/4) ओम कंवर पुत्री उत्तम सिंह
    (5/5) मिनाक्षी कंवर पुत्री उत्तम सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
06. मोहन सिंह पुत्र स्व. सम्पत सिंह
07. जयपाल सिंह पुत्र स्व. सम्पत सिंह
08. भंवर कंवर पत्नी सम्पत सिंह
09. माया कंवर पुत्री सम्पत सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
10. हिम्मत सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह
11. विक्रम सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह
    समस्त जाति राजपूमत निवासीगण वार्ड नं. 9, सुखचैनपुरा
12. मनोहर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत, निवासी रामसिंह नगर
13. जितेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी जस्सुपुरा गुनाठूं तहसील धोद जिला सीकर
14. महावीर सिंह पुत्र नारायण सिंह
15. नरपत सिंह पुत्र नारायण सिंह
16. इन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह
17. अंजू पुत्री बजरंग सिंह
18. चांद कंवर बेवा बजरंग सिंह
19. विरेन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह
20. ओम कंवर पुत्री मंगल सिंह
21. नीरू पुत्री मंगल सिंह
22. पूनम पुत्री मंगल सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

23. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कोतवाली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर
24. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
25. शाखा प्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा औद्योगिक क्षेत्र, सीकर तहसील व जिला सीकर
26. उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
27. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
28. पटवारी हल्का, दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

— अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति—
01. श्री विद्याधर सुण्डा, वकील प्रार्थी / वादी की ओर से
02. श्री महेन्द्र कुमार पारीक, वकील अप्रार्थी / प्रतिवादी सं. 1 की ओर से

—:आदेश:—

दिनांक— 13.11.2025

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "आवेदक / वादी ने उपरोक्त उनवानी दावा विधिवत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें आवेदक / वादी को सफलता की पूर्ण आशा है।आवेदक / वादी व अनावेदक / प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है—

हनुमान सिंह पुत्र श्री हरी सिंह

लक्ष्मणसिंह जगदीशसिंह उत्तमसिंह सम्पतसिंह भरतसिंह हिम्मतसिंह

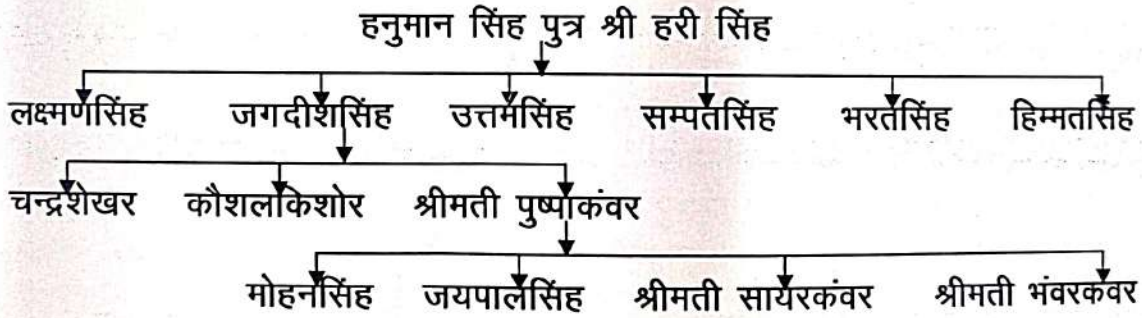

चन्द्रशेखर कौशलकिशोर श्रीमती पुष्पाकंवर

मोहनसिंह जयपालसिंह श्रीमती सायरकंवर श्रीमती भंवरकंवर

नोट— श्री हनुमान सिह पुत्र श्री हरी सिंह जाति राजपूत निवासी दूजोद का देहान्त दिनांक 26.11.2012 को तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भंवर कंवर का देहान्त दिनांक 18.09. 1997 को हो चुका है व सम्पत सिंह पुत्र हनुमान सिंह का देहान्त दिनांक 10.10.2020 को स्वर्गवास हो चुका है व जगदीश सिंह पुत्र हनुमान सिंह का देहान्त दिनांक 29.08.2005 को हुआ। ग्राम दूजोद तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में आवेदक / वादी व अनावेदक / प्रतिवादीगण व [illegible] स्व. जगदीश सिंह, उत्तम सिंह, स्व. सम्पत सिंह व हिम्मतत सिंह के [illegible] के कब्जे काश्त, अधिकार व खातेदारी की कृषि भूमियां— (क) कृषि भूमि खसरा सं. 232 [illegible] (पुराना) नया खसरा सं. 549 रकबा 4. 0100 हेक्टेयर (खेत सांवली वाला) (ख) कृषि भूमि खसरा सं. 145 / 2 (पुराना) खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर (नया) (खेत गुलीवाला खेड़ा) (ग) कृषि भूमि खसरा सं. 200 / 1 पुराना नया खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर (खेत बालाजी वाला खेड़ा) (घ) कृषि भूमि खसरा सं. 256 (नया) रकबा 2.2000 हेक्टेयर, खसरा सं. 257 रकबा 2.0900 हेक्टेयर में से हिस्सा 1 / 2 (खेत भोम वाली) (ड़) कृषि भूमि खसरा सं. 255 (पुराना) रकबा एक बीघा 18 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद (जिला-सीकर (राज.))

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

पुख्ता नया खसरा सं. 688 रकबा 0.2900 हेक्टेयर, खसरा सं. 689 रकबा 0.2500 हेक्टेयर (च) कृषि भूमि खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर (खेत बालाजी वाला खेड़ा) (छ) कृषि भूमि ग्राम 9 पी.टी.डी(ए) पटवार हल्का 6 पी.टी.डी. (बी) भू–अभिलेख निरीक्षक मोहकमवाला पुराना खसरा सं. 23 खाता सं. 27 मुर्बा सं. 20 पं. न. 252/359 तथा जिनके नवीन खसरा सं. तीस तथा मुर्बा सं. 21 पन. 253/359 जिसके नवीन 25 किता खसरा नम्बरान है, जिनका रकबा करीबन 50 बीघा पुख्ता तहसील रामसिंह नगर, जिला गंगानगर में अवस्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों में से पुराना खसरा सं. 200/1 रकबा 6 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता जिसके हाल खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर कुशाल सिंह पुत्र मंगेज सिंह, खसरा सं. 145/2 (पुराना) रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता जिसके हाल खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर महेश सिंह, जैस सिंह व गोपाल सिंह राजपूत तथा कृषि भूमि खसरा सं. (पुराना) 255 रकबा एक बीघा 18 बिश्वा पुख्ता मुकन्दसिंह पुत्र रामसिंह 01.07.1958 राजपूत परिवार की सामूहिक आय से सन 1958 को जरिये बही में व लिखावट कर खरीदी गई है, जिसके आधार पर मौके पर प्रतिफल अदा कर स्व. हनुमान सिंह को विधिवत दिया गया है। खसरा सं. 255 के हाल खसरा सं. 688 रकबा 0.2900 हेक्टेयर, खसरा सं. 689 रकबा 0.2500 हेक्टेयर तन दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण है। आवेदक/वादी अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्यगण होकर हिन्दू परिवार के सम्बन्धित है। उपरोक्त कृषि भूमियां आवेदक/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण की पैतृक व संयुक्त परिवार की आय से स्व. हुनमान सिंह द्वारा खरीद गई स्व. अर्जित सम्पदा है, जो आवेदक/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 की पैतृक कृषि भूमियां है, जिन्हें हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी को समान अंश में हिस्सा प्राप्त करने का कानूनन अधिकार है। आवेदक/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण के पिता स्व. हनुमान सिंह का देहान्त दिनांक 26.11.2012 को हुआ है। हनुमान सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 20.11.1987 को अपने सभी अनावेदक/प्रतिवादीगण पुत्रगण वारिसान की सहमती से विधिवत् बाहमी बंटवारा कर पारिवारिक बंटवारा (Family Settlement) लिखावट लिखी गई हैं जिसके अनुसार स्व. सिंह ने अपने वारिसान के मध्य अपनी सम्पत्तियों व कृषि भूमियों का हनुमान निम्न प्रकार बंटवारा कर उन्हें अलग अलग किया गया है– (क) अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 लक्ष्मण सिंह के हिस्से में भूमि सांवली वाली जिसके पुराना खसरा सं. 232/1 नया खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/4 की भूमि यानी 09 बीघा खेत उत्तरादों एक बीघा 3 बिस्वा, 9 पीटीडी तह. रामसिंह नगर जिला गंगानगर में अवस्थित मुर्बा न. 20 व 21 में से 13½ बीघा कच्ची पक्का 6 बीघा कुल कच्ची 23 बीघा 13½ बिस्वा कच्ची पक्की 6 बीघा (ख) अनावेदक/प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता व अनावेदक/प्रतिवादीनी के पति जगदीश सिंह के हिस्से में (भूमि सांवली वाली) जिसके पुराना खसरा सं. 232/1 नया खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/4 की भूमि यानि 9 बीघा खेड़ों एक बीघा साढ़े तीन बिस्वा तथा 9 पीटीडी में अवस्थित मुर्बा सं. 20 व 21 तहसील रामसिंह नगर, जिला गंगानगर की भूमि में से 13 बीघा 15 बिस्वा [illegible] कुल 23 बीघा 13½ बिस्वा कच्ची भूमि (ग) अनावेदक/प्रतिवादी सं. 5 उत्तम सिंह [illegible] में बंटवारा में आई कृषि भूमियां कृषि (भूमि भोमवाली) नया खसरा सं. 255 रकबा 2.20[illegible] हेक्टेयर, खसरा सं. 256 रकबा 2.0900 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/2 में [illegible] भूमि यानि रकबा 10 बीघा पुख्ता खेड़ों उत्तरादों एक बीघा साढ़े तीन बिस्वा तथा 9 [illegible] में अवस्थित मुर्बा सं. 20 व 21 तहसील रामसिंह नगर में से 13 बीघा 13½ बिस्वा कच्चा पक्का 6 बीघा कुल 24 बीघा 13½ बिस्वा कच्ची भूमि (घ) अनावेदक/प्रतिवादी सं. 6 व 7 के पिता व अनावेदक/प्रतिवादीनी सं. 8 के पति सम्पत सिंह के बंटवारे में आई कृषि भूमियां– कृषि भूमि (भोमवाली) खसरा सं. 256 रकबा 2.2000 हेक्टेयर, खसरा सं. 257 रकबा 2.0900 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

यानि 10 बीघा खेड़ों उत्तरादों एक बीघा साडे तीन बीघा 9 पी.टी.डी तहसील रामसिंहनगर जिला गंगानगर में अवस्थित मुबाई 20 व 21 में से 13 बीघा 13½ बिस्वा यानि पक्का 6 बीघा कुल जमीन 24 बीघा 13½ बिस्वा है। (ङ) आवेदक/वादी के हिस्से में उक्त बंटवारा अनुसार कृषि भूमि (सांवली वाली) पुराना खसरा सं. 232/1, नया खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर में से 9 बीघा खेड़ो एक बीघा साढ़े तीन बीघा कच्चा मुरब्बा 9 पी.टी.डी. तहसील रामसिंहनगर जिला गंगानगर पक्का 6 बीघा कुल 23 बीघा 18½ बिस्वा (च) अनावेदक/प्रतिवादी सं. 10 हिम्मत सिंह ने उक्त बाहमी बंटवारा में (सांवली वाली) भूमि पुराना खसरा सं. 232/1 नया खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर में से 9 बीघा, खेड़ो उत्तरादों में से एक बीघा साढ़े तीन बीघा कच्चा, 6 बीघा पक्की, 9 पीटीडी तहसील रामसिंहनगर जिला गंगानगर में अवस्थित मुर्बा सं. 20 व 21 में से 13 बीघा 10 बिस्वा कच्ची कुल 23 बीघा 10 बिस्वा कच्ची भूमि। इसके अलावा स्व. हनुमान सिंह व अपनी धर्मपत्नी के हिस्से में (भूमि गुलीवालों खेड़ो) पुराना खसरा सं. 145/2 नया खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर (अगुणा खेड़ों) 14 बीघा 10 बिस्वा तथा 9 पी.टी.डी. तहसील रामसिंह नगर जिला गंगानगर में अवस्थित मुर्बा सं. 20 व 21 में से 27 बीघा कच्ची पक्का 12 बीघा कुल 46 बीघा भूमि बाहमी बंटवारा में रखी गई है तथा स्व. हनुमान सिंह ने अपनी व धर्मपत्नी के हिस्से में बंटवारा में रखी उपरोक्त भूमियां उनके जीवनकाल में जो उनके शामिल रहेगा काश्त करेगा उनके देहान्त के बाद उसे आवेदक/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 के हिस्सा में हिस्सा 1/6, 1/6 की समान अंश में पाती करेंगे व अन्य सम्पत्तियों का व उपरोक्त स्व. हनुमान सिंह ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण कृषि अपने वारिसान आवेदक/वादी अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 के मध्य विधिवत् दिनांक 20.11.1987 को बाहमी बंटवारा कर पारिवारिक बंटवारा (**Family Settalment**) लिखावट लिखकर अपने वारिसान पुत्रगणों को अलग अलग किया है, जिसके अनुसार स्व. हनुमान सिंह के वारिसान (आवेदक/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11) उक्त पारिवारिक बंटवारा अनुसार अपने अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर बहैसियत खातेदार, काश्तकार काबिज करते आ रहे हैं व वर्तमान कब्जा काश्त भी उसी अनुसार मौके पर है। इसी प्रकार कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 200/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता जिसके नवीन खसरा सं. 622 रकबा 0.86 हेक्टेयर (खेत बालाजी वाला), कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 145/2 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता नया खसरा सं. 434 रकबा 1.600 हेक्टेयर (खेत गुलीवाला) तथा कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 255 रकबा एक बीघा 18 बिस्वा पुख्ता, जिसके हाल खसरा सं. 688 रकबा 0.2900 हेक्टेयर, खसरा सं. 689 रकबा 0.2500 हेक्टेयर तन दुजोद तहसील सीकर हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर आवेदक/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 के पिता स्व. हनुमान सिंह ने उपरोक्त कृषि भूमियों के खातेदार, काश्तकार कुशाल सिंह पुत्र मंगेज सिंह, महेश सिंह, जेस सिंह व गोपाल सिंह तथा मुकन सिंह पुत्र रामसिंह, समस्त जाति राजपूतान ने अपने जीवनकाल में सन् 1958 में परिवार की शामलाती आय से विधिवत् खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया है, जो उनकी स्वअर्जित कृषि भूमियां है। परन्तु अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 लक्ष्मण सिंह जो चालाक, चतुर व सर्कस किश्म का भू–माफिया ... जिसने उपरोक्त खातेदार काश्तकारान ने नाम फर्जी पुराना सटाम्प लेकर उनके फर्जी ... कर विक्रय पत्र लिखवाया है, जिसका स्व. हनुमान सिंह व उनके अन्य पुत्रगण आवेदक/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 2 ता 11 व उनके वारिसान को कोई ... दी। अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 ग्राम पंचायत दूजोद पंचायत समिति धोद का काफी वर्षों तक सरपंच व सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर रहा है, जिसके कारण तत्कालीन तहसीलदार से उपरोक्त कृषि भूमियों का अपने नाम नामान्तरकरण पटवारी हल्का व तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक से भरवाकर उक्त फर्जी कूटरचित व साजसी के आधार पर नामान्तरकरण सं. 176 भरवाकर दिनांक 10.08.1970

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: Self Attested

न्यायिक उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

को भरवाकर तत्कालीन तहसीलदार से अनाधिकृत तरीके से दिनांक 10.08.1970 को स्वीकार करवाया है। उक्त नामान्तरकरण सं. 176 की पुष्ट पर तत्कालीन तहसीलदार सीकर ने उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 10.08.1970 को स्वीकार करने का आदेश दिया गया है, जो निम्न कारणों से गलत अवैध व शून्य दस्तावेज है– (क) तथाकथित आलौच्य नामान्तरकरण सं. 176 दिनांक 10.08.1970 स्टाम्प पर लिखी गई लिखावट सं. 2013 को आधार मानकर व उक्त लिखावट के आधार पर स्वीकार करने का आदेश दिया गया है। उक्त लिखावट गलत अवैध व शून्य लिखावट है, जो अनावेदक /प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त आराजियात के तत्कालीन खातेदारों के नाम स्टाम्प लेकर स्वयं इस पर विक्रय पत्र तैयार कर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बनाई गई है, जो गलत अवैध व नुमायशी लिखावट है व कर्ताखान होने के कारण बही की लिखावट को गायब की गई है। जिसका तत्कालीन उपपंजीयक केकार्यालय में विधिवत् पंजीबद्ध नहीं करवाया है। उक्त लिखावट रजि. पंजीबद्ध दस्तावेज नहीं हैं। जिसके आधार पर अनावेदक/प्रतिवादी सं.1 को वादग्रस्त कृषि भूमियों के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व (टाईटल) कानूनन हासिल नहीं होते हैं। उक्त लिखावट समुचित स्टाम्प पेपर पर लेखबद्ध नहीं की गई है, जो अपंजीकृत दस्तावेज है, जो अवैध, शून्य, नुमाईशी है। अपितु प्रारम्भ से ही शून्य है, जो दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य होते है, उनके आधार पर कोई हक, अधिकार हासिल नहीं होते है। (ख) राजस्थान सरकार ने राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–2360 के तहत राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ–8(185) Rev/3/57 दिनांक 11/957 का प्रकाशन का प्रकाशन किया है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवस्थित कृषि भूमियों के नामान्तरकरण के संबंध में स्वीकार करने के अधिकार ग्राम पंचायत को दिये गये है। आलौच्य नामान्तरकरण ग्राम पंचायत दूजोद में अवस्थित कृषि भूमियों से सम्बन्धित है। इसलिए तत्कालीन तहसीलदार का आलौच्य नामान्तरकरण के संबंध में बिना क्षेत्राधिकार के आधार पर पारित किया गया है। (ग) तत्कालीन तहसीलदार ने आलौच्य आदेश नामान्तरकरण की पुस्त के पीछे के पृष्ठ पर पारित कर नामान्तरकरण सं. 167 दिनांक 10.08.1970 को स्वीकार करने के पूर्व वादग्रस्त कृषि भूमि भूमियों के कब्जे के संबंध में कोई जांच व तहकीकात नहीं की है। (घ) अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 ने अपने पिता स्व. हनुमान सिंह द्वारा अपने कब्जे अधिकार व खातेदारी की भूमियों के संबंध में अपने वारिसान के हक में लिखी गई पारिवारिक बंटवारा दिनांक 20.11.1987 को पढ़–सुन, समझकर अन्य भाईयों के साथ उक्त लिखावट पर अपने हस्ताक्षर किये है। उक्त लिखावट की प्रतिलिपियां प्रत्येक वारिस को दी है व विधिवत् मौके पर बंटवारा कर कब्जा सुपुर्द कर कब्जा सम्भलाया है। उस वक्त अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 ने तथाकथित आलौच्य नामान्तरकरण द्वारा वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी अपने नाम होने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। इसलिए स्व. हनुमान सिंह द्वारा पारिवारिक बंटवारा के अन्यथा कथन स्वीकारोक्ति के विपरीत कथन करने से प्रतिबन्धित है। (ड़) तत्कालीन तहसीलदार ने राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों की कोई पालना नहीं की है। तथाकथित आलौच्य नामान्तरकरण सं. 167 दिनांक 10.08.1970 अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 के प्रभाव में आकर कानूनी प्रावधानों की पालना किये बिना पारित किया है, जो कानूनन गलत अवैध व शून्य दस्तावेज है, जिसके आधार पर अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 के नाम वादग्रस्त आराजियात की दर्ज की गई राजस्व अभिलेख जमाबन्दी की प्रविष्टियां गलत अवैध व शून्य है, जो आवेदक/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 2 ता 12 के अधिकारों के मुकाबले अवैध, शून्य, अवैध व निरस्तनीय है, जिसे आवेदक/वादी निरस्त करवाने का कानूनन मुस्तहक है। स्व. हनुमान सिंह का देहान्त दिनांक 26.11.2012 को हुआ है व उसकी धर्मपत्नी का देहान्त उनके जीवनकाल में ही हो गया था। स्व. हनुमान सिंह ने अपनी समस्त कब्जे, अधिकार व खातेदारी की कृषि भूमियों व अन्य सम्पत्तियों का बाहमी बंटवारा कर दिनांक 20.11.1987 को लिखी गई उक्त पारिवारिक बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रलेख में स्व. हनुमान से अपने अपनी पत्नी के जीवनकाल में अपने निर्वाह हेतु बंटवारा में कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 145/2 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता नया खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर तन दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण अगुणा खेड़ों 4 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता व 9 पी.टी.डी. तहसील रामसिंह नगर जिला गंगानगर में अवस्थित मुर्बा सं. 20 व 21 में से 27 बीघा कच्ची व 12 बीघा पुख्ता भूमि कुल 46 बीघा कच्ची भूमि उक्त पारिवारिक बंटवारा में रखी गई थी। स्व. हनुमान सिंह व उनकी धर्मपत्नी भंवर कंवर का देहान्त होने के बाद उनके हिस्से की भूमि में से आवेदक/वादी हिस्सा 1/6 की भूमि की अपने नाम विरासत के आधार पर उद्घोषणा करवाने का कानूनन मुश्तहक है। चूंकी 9 पी.टीपी. में अवस्थित होने मुर्बा सं. 20 व 21 तहसील रामसिंह नगर, जिला गंगानगर में अवस्थित है, जिनके संबंध में किसी प्रकार का आदेश देने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को नहीं है, जिनके संबंध में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी व न्यायालय में समुचित सहायतार्थ चाराजोही करने हेतु अपने अधिकार सुरक्षित रख रहा है व प्रस्तुत दावा को कोई सहायता हेतु निवेदन नहीं किया जा रहा है व प्रस्तुत दावा में कोई सहायता हेतु निवेदन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 ने पुराना खसरा सं. 255 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान खसरा सं. 688 रकबा 0.2900 हेक्टेयर, खसरा सं. 689 रकबा 0.2500 हेक्टेयर तन दूजोद, तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर का गुपचुप में प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर सुधार न्यास, सीकर में गैरमुमकीन वाणिज्यिक हेतु भूमि का रूपान्तकरण करवाकर राजस्व अभिलेख में करवा लिया है, जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने हेतु अपने अधिकार सुरक्षित प्रस्तुत रख रहा है। प्रस्तुत दावा में भूमि खसरा सं. 688, 689 तन दूजोद तहसील व 9 पीटीपी तहसील रामसिंह नगर, जिला गंगानगर में अवस्थित मुर्बों के संबंध में कोई सहायता हेतु कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत दावा में आवेदक/वादी वादग्रस्त कृषि भूमियों में से आवेदक/वादी कृषि भूमि खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/4, कृषि भूमि खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/6 व कृषि भूमि खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/6 तन दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर तथा अनावेदक/प्रतिवादी सं. 2 ता 4 कृषि भूमि खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/4 (खेड़ा बालाजी वाला) खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/6 तन दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण अनावेदक/प्रतिवादी सं. 5 कृषि भूमि खसरा सं. 255 रकबा 2.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 256 रकबा 2.0900 हेक्टेयर हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/2 यानि हिस्सा 1/4 तन दूजोद कृषि भूमि खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/6 तन दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण कृषि भूमि खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/6, अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 व 8 कृषि भूमि खसरा सं. 256 रकबा 2.0200 हेक्टेयर, खसरा सं. 257 रकबा 2.0900 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/2 यानि हिस्सा 1/4 कृषि भूमि खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/6, खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/6 तन दूजोद, तहसील सीकर ग्रामीण, अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 कृषि भूमि खसरा सं. 459 रकबा 4.0100 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/4 (खेड़ा बालाजी वाला) खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/6, खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर में से हिस्सा 1/6 अपने पिता स्व. हनुमान सिंह की विरासत के आधार पर बाहमी बंटवारा अनुसार हिस्सा अनुसार खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने के विरासत के आधार पर अधिकारी है। इसलिए आवेदक/वादी बाहमी बंटवारा में आई वादग्रस्त कृषि भूमियों के हिस्से की खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवाने के कानूनन मुश्तहक है, जिस हेतु प्रस्तुत दावा व आवेदन अदालतहाजा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक/वादी व अनावेदक/प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारा अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमियों पर बहैसियत खातेदार, काश्तकार काबिज काश्त करते आ रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

है व वर्तमान कब्जा भी उपरोक्त अनुसार है। परन्तु अनावेदक/ प्रतिवादी सं. 1 चालाक सर्कस व भू–माफिया किश्त का व्यक्ति है, जो आवेदक/वादी व अन्य भाईयों के सराफत व सीधे किश्म का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त कृषि भूमियां जो उनके पिता स्व. हनुमान सिंह की भूमियां खातेदारी कब्जे व पैतृक आराजियात को गलत आधार पर अपने नाम बिना कानूनी अधिकार के राजस्व रिकार्ड में हैराफेरी करके अपने नाम करवाने के आधार पर जबरन बेदखल करने व अन्य भू–माफिया किश्म के व्यक्तियों की मदद से जबरन लठ के बल पर बेदखल करने की कुचेष्टा निरन्त करता आ रहा है व वादग्रस्त कृषि भूमियों की किश्त तब्दील कर कृषि से अकृषि में तब्दील करने की कुचेष्टा करने पर उतारू हो रहा है, जिसका अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 को कानूनन कोई अधिकार नही है। इसलिए अनावेदक/प्रतिवादी सं. 1 उसके वारिसान, नौकर चाकर आदि को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से तादौराने दावा वादग्रस्त कृषि भूमि में आवेदक/वादी के हिस्से की भूमि से बेदखल करने व कृषि भूमि में अकृषि में तब्दील न करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा में तादौरान दावा पाबन्द किया जाना कानूनन आवश्यक हो गया है इसलिए दावा व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकटतः केश व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु आवेदक/वादी के पक्ष में है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अनावेदक/प्रतिवादीगण सं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावें कि अनावेदक/प्रतिवादी सं. 2 ता 22 की मदद से वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर, खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर, खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर तन दूजोद में से आवेदक/वादी के हिस्से की भूमि से बेदखल करने व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने व मौके पर कृषि भूमियों को कृषि से अकृषि में परिवर्तन कर मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने से बाज रहे तथा साथ ही अनावेदक/प्रतिवादी सं. 28 उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण जिला सीकर को वादग्रस्त कृषि भूमियों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विक्रय–पत्र या अन्य अन्तरण दस्तावेज पंजीबद्ध करने तथा अनावेदक/प्रतिवादी सं. 27 व 25 को वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावें।"

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार पारीक, एड. ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थीगण पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक पूर्ण होने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब टी. आई. आवेदन पेश किया, जिसमें उल्लेखित किया कि "आवेदक/वादी ने गलत तथ्यों पर बिना किसी आधार के गलत दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें आवेदक/वादी को सफलता की आशा दुराशा मात्र है। आवेदक/वादी सजरा खानदान अपूर्ण प्रस्तुत किया है। उक्त सजरा खानदान में स्व. हनुमानसिंह की पुत्रियों को अंकित नहीं किया गया है। सबसे बड़ी पुत्री उच्छव कंवर का देहान्त हो चुका है। उसके पुत्रगण श्यामसिंह, नरेन्द्रसिंह, राजपालसिंह, जुगलसिंह पुत्री भंवर कंवर को नहीं दर्शाया गया है। [illegible]सिंह की पुत्री सुरज्ञान कंवर, सरोज कंवर को भी नहीं दर्शाया गया है। [illegible] जो कि स्व. हनुमानसिंह का पुत्र है। स्व. जगदीशसिंह की पुत्रियां पिं[illegible] वंशावली में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार से आवेदक/वादी के द्वारा स्व. हनुमान[illegible] की पुत्रियों को जानबूझकर दर्शित नहीं किया गया है। उक्त पैरा में नोट [illegible] की मृत्यु की दिनांक व हनुमानसिंह की पत्नी भंवरकंवर की मृत्यु की दिनांक व इनके पुत्र सम्पतसिंह की मृत्यु की दिनांक दर्शित की गई जो विवादित नहीं है। आवेदन में पैरा सं. 3 जिस तरह से अंकित है, स्वीकार नहीं है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है– (क) कृषि भूमि खसरा सं. 232/1 पुराना नया खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर (खेत सांवली वाला) स्व. हनुमानसिंह के नाम था, जिन्होंने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

खेत का बेचान अपने जीवन काल में जरिये रजिस्ट्री दिनांक 26.06.1968 को सूरजमल पुत्र नाथूराम, हनुमान पुत्र आशाराम, चौथमल पुत्र आशुसिंह जाति माली व बिरदाराम पुत्र मानाराम को बेचान कर दिया था। जिसका दावा एस.डी.ओ. सीकर के समक्ष करने पर फैसला होने पर जमीन का नामांतरकरण स्व. हनुमानसिंह के पुत्रगण लक्ष्मणसिंह, सम्पतसिंह, जगदीशसिंह, उत्तमसिंह, भरतसिंह, हिम्मतसिंह के नाम दर्ज हुआ था, जो जमाबंदी व नामांतरकरण पंजीयन का दिनांक 13.06.1974 से सिद्ध है। जमाबंदी के अनुसार उक्त खसरा सं. में स्व. हनुमानसिंह के पुत्रों का 1/6–1/6 भाग है। लेकिन वंशावली के अनुसार पुत्र व पुत्रियों 1/9–1/9 हिस्से पर कब्जा काश्त है। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार सभी पुत्रगणों का 1/6–1/6 भाग है। उक्त जमाबंदी के अनुसार स्व. हनुमानसिंह के पुत्र सम्पतसिंह एवं स्व० सम्पतसिंह के पुत्रगण व पुत्री एवं पत्नी ने मिलकर उक्त खसरा नम्बर क्रेता मनोहरसिंह, जितेन्द्रसिंह शेखावत व विक्रमसिंह पुत्र हिम्मतसिंह को दिनांक 16.01.2023 को विक्रय–पत्र के जरिये अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 का बेचान कर दिया था, जो विक्रय–पत्र उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण के द्वारा बनाया गया था। जो विक्रय पत्र से सिद्ध है। खसरा सं. 549 का क्रेता स्व. हनुमानसिंह के पुत्र हिम्मतसिंह का पुत्र विक्रमसिंह स्वयं ही है तथा उक्त विक्रय–पत्र में गवाह के रूप में स्व. हनुमानसिंह के पुत्र हिम्मतसिंह के हस्ताक्षर है, जो यह सिद्ध करता है कि स्व. हनुमानसिंह के जीवन काल में हनुमानसिंह की पैतृक भूमियों का कोई किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ था। वर्तमान आवेदक/वादी ने खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर बाबत एवं दावा एवं टी. आई. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद के समक्ष दिनांक 28.11.2018 को टी.आई. सं. 49/2018 प्रस्तुत किया था, जो स्वयं ने ही दावा व टी.आई. अदम हाजरी में खारिज करवाया था, जिससे सिद्ध है कि वर्तमान आवेदक/वादी जवाबदाता लक्ष्मणसिंह को झूठे मुकदमेंबाजी में फंसाकर नाजायज रूप से परेशान कर रहे है जो पूर्व दावा व टी.आई. की प्रमाणित प्रतिलिपियों से सिद्ध है। खसरा सं. 549 ग्राम दुजोद के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय धोद के समक्ष चन्द्रशेखर सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह के द्वारा स्व. हनुमानसिंह के सभी पुत्रों को प्रतिवादी बनाकर दावा व टी.आई. माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें वादी चन्द्रशेखर ने जमाबंदी के अनुसार अपने 1/6 हिस्से की मांग की है एवं काश्तकार उद्घोषित किया जाना चाहता है। जो मुकदमा सं. 11/2020 से सिद्ध है। इस प्रकार सभी ऊपर वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों से सिद्ध है कि उक्त खसरा सं. 549 के बाबत व अन्य पैतृक कृषि भूमि के बाबत किसी प्रकार का कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है। आवेदक/वादी के द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर झूठा दावा व आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। (ख) कृषि भूमि खसरा सं. 145/2 पुराना खसरा सं. 434 रकबा 1.6600 हेक्टेयर नया खेत गुंलीवाला व खसरा सं. 200/1 पुराना नया खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर व कृषि भूमि खसरा सं. 688 रकबा 0.2900 हेक्टेयर, खसरा सं. 689 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि का क्रय जवाबदाता लक्ष्मणसिंह के द्वारा कुशलसिंह पुत्र मंगेजसिंह खातेदार महेशसिंह, जयासिंह, गोपालसिंह कौम राजपूत ने उपरोक्त खसरा नम्बर का बेचान लक्ष्मणसिंह पुत्र हनुमानसिंह के पक्ष में किया है। इसी प्रकार मुकुन्दसिंह पुत्र रामसिंह ने अपने खसरा नम्बर का बेचान जवाबदाता के पक्ष में किया है, जिसका नामांतरकरण सन् 1970 में जवाबदाता के पक्ष में भरा गया है। जवाबदाता के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमियां क्रय करने के पश्चात निरंतर काश्त मे चली आ रही है। जो नामांतरकरण पत्रिका से व गिरदावरियों से सिद्ध है। उपरोक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियां जवाबदाता की क्रयशुदा भूमियां है। रिकार्ड पर जवाबदाता के अलावा किसी का भी कोई हक, हिस्सा नहीं है। आवेदक/वादी के द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाकर जवाबदाता की क्रयशुदा जमीन को हड़पने के लिए ग्राम दुजोद में जमीनों का भाव आसमान छूने की वजह से लालचवश मनगढंत तथ्यों पर झूठा दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SetAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

गया. है, जो खारिज किये जाने योग्य है। जवाबदाता लक्ष्मणसिंह का जन्म सन् 1943 में हुआ था। उक्त जवाबदाता सन् 1963 में रावराजा कल्याण सिंह सीकर ठिकाना में नौकरी लग गये थे। रावराजा कल्याण सिंह जी सीकर (ठिकाना सीकर) ने जवाबदाता को महामंदिर बाग के पास एक बीघा जमीन गिफ्ट पत्र के द्वारा दी थी, जो गिफ्ट दिनांक 05.09.1966 से ही जवाबदाता के निरंतर कब्जे, स्वामित्व में चली आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि जवाबदाता लक्ष्मणसिंह के द्वारा ग्राम दुजोद में ठिकाना सीकर के यहां नौकरी करने के पश्चात् अपने नौकरी के रूपयों से नया खसरा सं. 622, 434, 688, 689 की कृषि भूमियां ग्राम दुजोद में अवस्थित को सन् 1970 में क्रय की थी। जो राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। आवेदक/वादी को जवाबदाता की उपरोक्त कृषि भूमियों के बाबत दावा करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है तथा जवाबदाता रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद करवाने का भी किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। पैरा सं. 'ग' के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जवाब उपर वर्णित पैरा सं. 'ख' में दिया जा चुका है। उक्त पैरा 'ग' की कृषि भूमि जवाबदाता की क्रयशुदा भूमि है। (घ) खसरा सं. 256 नया व खसरा सं. 257 की कृषि भूमियां स्व. हनुमानसिंह से प्राप्त पैतृक भूमियां है, जो राजस्व रिकार्ड में स्व. हनुमानसिंह के सभी पुत्रगण व पुत्रियों के नाम दर्ज है, जिसमें सभी का समान हिस्सा अंकित किया गया है। जिसके सम्बन्ध में आवेदक/वादी ने कोई सहायता की मांग नहीं की है। उक्त कृषि भूमियों में स्व. हनुमानसिंह के सभी पुत्र व पुत्रियां अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज, काश्तकार है। (ड) उक्त पैरा में अंकित खसरा सं. 688 व 689 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जवाब पैरा 'ख' में दिया जा चुका है। उक्त भूमियां जवाबदाता की खरीदशुदा भूमियां है, जो कामर्शियल में तब्दील करवाकर गैस गोदाम के रूप में उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमियों के सम्बन्ध में आवेदक/वादी के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाही गई है। (च) यह कि उक्त पैरा में अंकित कृषि भूमि जवाबदाता की खरीदशुदा भूमि है, जिसका जवाब पैरा सं. 'ख' में दिया जा चुका है। (छ) यह कि उक्त पैरा में वर्णित कृषि भूमि रायसिंह नगर जिला गंगानगर में अवस्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं मांगी गई है। उक्त जमीन पर स्व. हनुमानसिंह के पुत्रगण व पुत्रियां वंशावली के अनुसार अपने–अपने 1/9–1/9 हिस्से पर काबिज, काश्तकार है। खसरा सं. नये 622, 434, 688, 689 की कृषि भूमियां ग्राम दुजोद में अवस्थित है, जो जवाबदाता की अपनी आय से क्रयशुदा जमीन है। जिस पर बाद खरीद निरंतर रूप से कब्जा, काश्त, खातेदारी लक्ष्मणसिंह जवाबदाता के नाम चली आ रही है। जो राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। उपरोक्त सभी खसरा नम्बर की कृषि भूमियां पारिवारिक आय से क्रय नहीं की गई थी। इन भूमियों के खरीदने के सम्बन्ध में खाताबही में कोई लिखावट अंकित नहीं है। आवेदक/वादी मनगढंत तथ्यों के आधार पर राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध जाकर दावा प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमियां किसी भी प्रकार से पैत्रिक भूमियां नहीं है। जबकि जवाबदाता की खरीदशुदा भूमियां है। आवेदक/वादी के द्वारा उपरोक्त भूमियों को हडपने की साजिश से गलत रूप से पैत्रिक बताया गया है, जो कथन आवेदक/वादी का पूर्णरूप से गलत होने से स्वीकार नहीं है। आवेदन के पैरा सं. 4 में स्व. हनुमानसिंह का देहान्त 26.11.2012 को होना स्वीकार है। हनुमानसिंह ने अपने जीवन काल में दिनांक 20[illegible] को सभी पुत्रगण एवं सभी पुत्रियों के हस्ताक्षर करवाकर किसी भी प्रकार का कोई [illegible] लिखावट अंकित नहीं की है तथा स्व. हनुमानसिंह की मृत्यु के पश्चात ऐसी किसी भी लिखावट के अनुसार पुत्रगण एवं पुत्रियों में पैतृक कृषि भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं हुई है। राजस्व रिकार्ड में पैतृक कृषि भूमि खसरा सं. 549 की खातेदारी सभी पुत्रगण में दर्ज हुई है, जो जमाबंदी में 1/6–1/6 के हिसाब से दर्ज है। जबकि वंशावली के अनुसार पुत्रियों का भी हक, हिस्सा है। ऐसी स्थिति में वंशावली के अनुसार 1/9–1/9 हिस्से पर सभी काबिज, काश्तकार है। खसरा सं. 256 व 257 की कृषि भूमि पैतृक है, जो वंशावली के अनुसार सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

पुत्रगण व पुत्रियों का 1/9–1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम रायसिंह नगर जिला गंगानगर की भूमि पैत्रिक है जिस पर स्व. हनुमानसिंह के पुत्रगण व पुत्रियों का 1/9–1/9 हिस्सा कब्जा, काश्त है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि स्व. हनुमानसिंह के जीवन काल में किसी प्रकार का कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ था। (4) (क) आवेदक/वादी के द्वारा जवाबदाता के हिस्से में पारिवारिक बंटवारे के अनुसार उक्त मद 'क' में जिस प्रकार जमीनें आना बताई गई है, गलत है, स्वीकार नहीं है। वस्तुस्थिति उपर के पैराओं में अंकित किया जा चुका है कि स्व. हनुमानसिंह के जीवन काल में सभी वारिसान को लेकर एवं उनके हस्ताक्षर करवाकर इस प्रकार का कोई बाहमी बंटवारा नहीं हुआ था। जिसका विवरण सम्पूर्ण रूप से पैरा नम्बर 3'क' व 3'ख' में दिया जा चुका है। (4) (ख) उक्त पैरा में वर्णित कथन गलत है, स्वीकार नहीं है। कारण कि स्व. हनुमानसिंह के जीवनकाल में उनके समस्त वारिसान को लेकर किसी प्रकार का बाहमी बंटवारा व पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ। (4) (ग) आवेदक/वादी के द्वारा आवेदन के पैरा ग घ, ड़, च में अंकित सभी कथन गलत है, स्वीकार नहीं है। आवेदक/वादी के द्वारा उक्त पैराओं में सभी कथन मनगढंत अंकित किये हुए है, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्व. हनुमानसिंह की पैत्रिक कृषि भूमियों में उनके वारिसान का 1/9 – 1/9 हिस्सा है। इसी प्रकार रायसिंह नगर जिला गंगानगर में अवस्थित कृषि भूमियों में भी समस्त वारिसान का 1/9 – 1/9 हिस्से के अनुसार कब्जा, काश्त है। जो हनुमानसिंह के सभी वारिसान के अनुसार है। खसरा सं. 549 रकबा 4.1000 हेक्टेयर भूमि में से स्व. हनुमानसिंह के पुत्र सम्पतसिंह के पुत्रगण व पुत्री व पत्नी ने मिलकर जमाबंदी के अनुसार 1/6 हिस्सा बेचान कर चुके है, जो दिनांक 16.01.2023 को किया है। उक्त बेचान का विरोध आवेदक/वादी के द्वारा किसी भी न्यायालय में दावा करके चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन आवेदक/वादी के द्वारा जवाबदाता को हैरान व परेशान करने के लिए लालचवश खरीदशुदा पर गलत रूप से झूठा दावा प्रस्तुत किया गया है एवं झूठे रूप से खरीदशुदा जमीन खसरा सं. 434 व 622 के लिए पाबंद करवाया गया है। जो स्थगन खारिज किये जाने योग्य है। आवेदन के पैरा सं. 5 में वर्णित सभी कथन गलत है, स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि खसरा सं. नया 622, 434, 688, 689 सभी खसरा सं. की कृषि भूमियां जवाबदाता के द्वारा सन् 1970 में क्रय की गई थी। जो रिकार्ड से सिद्ध है। आवेदक/वादी का कथन कि स्व. हनुमानसिंह ने उक्त कृषि भूमियों का क्रय शामलाती आय से खरीद किया था का कथन रिकार्ड एवं दस्तावेजों के विरूद्ध होने से गलत है, स्वीकार नहीं है। जवाबदाता वर्तमान में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के प्रारम्भिक वर्षों से ठिकाना सीकर के यहां नौकरी करके अपनी आय से उक्त जमीनें खरीदी है। जिनका वर्णन उपर वर्णित पैराओं में किया जा चुका है। जवाबदाता के द्वारा उक्त जवाब के पैरा में अंकित जमीनों को क्रय करने के पश्चात् जमीनों का विधिवत रूप से नामांतरकरण भरवाया है, जो पूर्णरूप से विधिवत है। तहसीलदार महोदय के द्वारा नामांतरकरण को सही रूप से स्वीकार किया गया है, जो किसी भी प्रकार से गलत अवैध व शून्य दस्तावेज नहीं है। (5)(क) तथाकथित नामांतरकरण सं. 176 दिनांक 10.08.1970 को स्वीकार करने का आदेश विधिवत है। जवाबदाता के द्वारा आवेदन के पैरा सं. 5 में अंकित कृषि भूमियों का क्रय विधिवत रूप से किया है ... से सही है। आवेदक/वादी के द्वारा उक्त भूमियों के सम्बन्ध में विक्रय ... करके तैयार करवाया गया है, जिसको अवैध रूप से 1970 के पश्चात् चुनौती दी जा रही है, जो जवाबदाता से रंजिश रखने का परिणाम है। जवाबदाता के द्वारा आवेदन के पैरा सं. 5 में वर्णित जमीनों का विक्रय–पत्र सही एवं सत्य बनाया गया है, जो किसी भी प्रकार से शून्य दस्तावेज नहीं है। (5)(ख) उक्त पैरा में अंकित सभी कथन गलत है, स्वीकार नहीं है। तहसीलदार का नामांतरकरण स्वीकार करने का आदेश सही एवं विधिवत है। (5)(ग) उक्त पैरा में अंकित सभी कथन गलत है, स्वीकार नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

है। तत्कालीन तहसीलदार ने आदेश नामांतरकरण की पीछे के पृष्ठ पर पारित कर नामान्तरकरण सं. 167 दिनांक 10.08.1970 को स्वीकार करने से पूर्व कब्जे के सम्बन्ध में पूर्ण जांच व तहकीकात करने के पश्चात् ही सही व वैध रूप से नामांतरकरण भरा गया है। (5)(घ) आवेदन के उक्त पैरा में सभी कथन गलत है, स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि स्व. हनुमानसिंह के सभी पुत्रगण पुत्रियों व माता के हस्ताक्षर करवाकर किसी भी प्रकार की कोई लिखावट अंकित नहीं की गई है। ना ही लिखावट की प्रतिलिपियां प्रत्येक वारिस को दी गई है। जब पारिवारिक बंटवारा ही नहीं हुआ तो मौके पर बंटवारा कर कब्जा सुपुर्द करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। आवेदन के पैरा सं. 5 में वर्णित भूमियों को जवाबदाता के द्वारा क्रय किया गया है, जो रिकार्ड से सिद्ध है। (5)(ड़) उक्त पैरा में अंकित सभी कथन गलत है, स्वीकार नहीं है। तत्कालीन तहसीलदार ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों की पूर्णरूप से पालना की गई है एवं नामांतरकरण कानूनी प्रावधानों की पालना करके पारित किया गया है, जो कानूनन विधिवत दस्तावेज है एवं इसके आधार पर की गई जमाबंदी की प्रविष्टियों सही एवं सत्य है जिसे निरस्त करवाने का आवेदक में से 1/9–1/9 हिस्से पर कब्जा, काश्त निरंतर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में स्व. हनुमानसिंह के देहान्त के बाद ऐसी कोई कृषि भूमि नहीं है, जिसका आवेदक/वादी उदघोषणा करवाना चाहता है। स्व. हनुमानसिंह की मृत्यु के पश्चात् जवाबदाता की क्रयशुदा कृषि भूमि खसरा सं. 622, 434, 688, 689 को छोडकर सभी पैतृक जमीन पर वारिसान का कब्जा, काश्त 1/9–1/9 हिस्से पर निरंतर चला आ रहा है। आवेदक/वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि खसरा सं. 688 व 689 स्वयं जवाबदाता की क्रयशुदा होकर जवाबदाता गैर मुमकिन वाणिज्यक हेतु भूमि का रूपान्तरण करवा चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदक/वादी कोई सहायता हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। आवेदक/वादी ने स्वयं अंकित किया है कि रायसिंह नगर जिला गंगानगर में अवस्थित भूमि के सम्बन्ध में भी कोई सहायता की मांग नहीं कर रहा है। स्व. हनुमानसिंह के द्वारा अपने जीवन काल में अपने सभी वारिसान के मध्य कोई पारिवारिक बंटवारा नहीं करने से आवेदक/वादी के द्वारा बिना किसी पारिवारिक बंटवारे के उक्त पैरा में उदघोषणा की मांग करना गलत है, स्वीकार नहीं है। जवाबदाता का खसरा सं. 622, 434, 688, 689 खरीदशुदा है, जो रिकार्ड से सिद्ध है। उपरोक्त खसरा सं. की भूमियों का आवेदक/वादी को अपने हिस्से में उद्घोषणा करवाने का कोई अधिकार नहीं है। स्व. हनुमानसिंह की शेष पैतृक कृषि भूमियों पर सभी वारिसान का 1/9–1/9 हिस्से पर निरंतर कब्जा, काश्त चला आ रहा है, जिसे आवेदक/वादी का 1/6 के हिस्से के अनुसार उद्घोषणा करवाने का कोई हक, अधिकार नहीं है। आवेदक/वादी स्वयं हनुमानसिंह की पुत्रियों का कोई हिस्सा नहीं देना चाहता है। इसलिए झूठा दावा प्रस्तुत किया है, जो सारहीन होने से दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। पैरा सं. 7 में अंकित सभी कथन गलत होने से स्वीकार नहीं है। उक्त पैरा में अंकित कथनों का जवाब जवाबदाता के द्वारा उपर वर्णित पैराओं में विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। जवाबदाता की खदीशुदा कृषि भूमि खसरा सं. 622, 434, 688 व 689 को छोड़कर अन्य पैतृक कृषि भूमि पर स्व. हनुमानसिंह के पुत्रगण व पुत्रियों का समान रूप से 1/9–1/9 कब्जा, काश्त निरंतर चला आ रहा है। आवेदक/वादी के द्वारा पूर्व में भी जवाबदाता के विरुद्ध एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा का दावा सन् 2018 में भी किया था जिसका वर्णन पूर्व के पैराओं में दिया जा चुका है, जो स्वतः ही आवेदक/वादी ने अदम हाजरी में खारिज करवा दिया था, उक्त दावे में कहीं भी बाहमी बंटवारे का वर्णन नहीं है, जो यह प्रकट करता है कि पारिवारिक बंटवारे का कथन मनगढंत रूप से गलत रूप से अंकित किया गया है। अतः दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। मद सं. 8 जिस प्रकार से अंकित है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक/वादी के पक्ष में किसी प्रकार का कोई सुविधा का संतुलन नहीं है तथा ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

उसकी किसी प्रकार की काई क्षति हो रही है। बल्कि वादी/आवेदक द्वारा गलत व निराधार आधारों पर दावा आवेदन व दावा प्रस्तुत करने के कारण जवाबदाता को क्षति कारित हो रही है। मद सं. 9 कानूनी है। अतः निवेदन है कि आवेदक/वादी का आवेदन खारिज फरमाया जाने की कृपा करें।"

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थी/वादी ने अपने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थी/वादी का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में वकील प्रार्थी/वादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत– एआईआर, 1965 पी एचएचसी 238, 2022(3) डीएचजी एससी 853, 2021(2) आरजेटी सिविल 172, 1995 डीएचजे राज. 286, आरएचडब्ल्यू 1998(2) राज. 741, 2010 डीएचजे एससी 202, 2020 आरबीजे 225, 2019 आरबीजे 253, आरआरडी 1965 170, 2011(2) आरआरटी 1253, 2023(4) डीएचजे एससी 1319 आदि पेश किये। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत– 2017(1) डीएनजे, 379, पारिवारिक समझौते के संबंध में सिविल अपील सं. 8290/2009 का निर्णय की प्रति व उससे संबंधित प्रावधान आदि की प्रतियां पेश की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली, आवेदन, जवाब एवं सभी दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

<u>(A) प्रथम दृष्ट्या मामला–</u> पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार वाके ग्राम दूजोद पटवार हल्का दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के वर्तमान खाता सं. 639 के विवादित भूमियां खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर, खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर में वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की भूमियां है तथा पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार वाके ग्राम दूजोद पटवार हल्का दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के वर्तमान खाता सं. 631 के विवादित भूमि खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर में वर्तमान में प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं. 1, 10 ता 13, अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के पिता तथा अप्रार्थीगण सं. 5/1 ता 5/5 के पिता/पति की खातेदारी की भूमि है तथा विवादित आराजियात में प्रार्थी/वादी ने उक्त वर्णित भूमियां पैतृक होने तथा उनके पूर्वज हनुमानसिंह के समय की पारिवारिक लिखावट के होने संबंधी आधारों पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खातेदारी जागीरदारी के जरिये उनके नाम होने का हवाला देकर मूल वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। प्रकरण में एक स्टाम्प के आधार पर अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी होने संबंधी तथ्य का भी उल्लेख कर वादी/प्रार्थी ने अपने नाम से खातेदारी चाही है। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने पारिवारिक लिखावट को विधिसम्मत नहीं बताया जाकर वादी/प्रार्थी के अनुतोष को युक्तियुक्त नहीं बताया है। चूंकि इस स्टेज पर आराजियात का विक्रय अन्तरण होता है या मौका स्थिति का परिवर्तन होता है या प्रार्थी/वादी के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी होती है तो वाद बहुलता होगी तथा प्रार्थी/वादी को भी अत्यधिक असुविधा होगी। प्रकरण से संबंधित मूल वाद उक्त वर्णित उभयपक्षकारान (प्रार्थी/वादी, अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण) के मध्य के संबंध में प्रस्तुत मूल वाद में उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में मामला विचाराधीन है, जिसका निर्धारण उक्त मूल वाद में होना है। हस्तगत टी.आई. आवेदन का निस्तारण हस्तगत पत्रावली में आये तथ्यों के अनुरूप तय किया जाना है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी/वादी के हक में बनता है।

<u>(B) सुविधा का संतुलन–</u> उक्त वर्णित आराजियात में वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उभयपक्षकारान खातेदार है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

(C) अपूरणीय क्षति– यदि विवादित आराजियात का बेचान होकर रिकॉर्ड में परिवर्तन होता है तो इससे वाद बहुलता बढेगी तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी/वादी को होगी। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी/वादी को ही होनी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक आराजियात खसरा सं. 434 रकबा 1.6000 हेक्टेयर, खसरा सं. 622 रकबा 0.8600 हेक्टेयर तथा खसरा सं. 549 रकबा 4.0100 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह आदेश प्रचलित रास्तों/कटान के रास्तों, जल/विद्युत संबंध, राको रोड़ा के तहत बैंक कार्यवाही आदि पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बयान भगत सिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरह

मुकदमा नं. धा. 212 रा.का. मु.नं. 97/2024

3/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] उप. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर सर्व के अप्रार्थी सं. 1 का जवाब पेश हो चुका है अतः बहस [illegible] से मूल मांग पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/11/25 को पेश हो।	
13/11/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर मनन किया। समग्र पत्रावली का अवलोकन किया। अतः ~~अर्जुन~~ ~~वि~~ प्रार्थीगण/ वादीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार करते ~~[illegible]~~ के आदेश दिये जाते हैं निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:34:42 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक संघ [illegible]